

न्यायालय उपखण्ड अधिकायी मण्डलाया जिला हुन्डुनु

पीढारीन अधिकायी - पुनेरा कुमारी (अर.प्र.प्र.स.)

सु.सं. 324/2022 सनवान जगदीश बनाम सिणगारी वगैरे
जगदीश वगैरेह वादी
बनाम

सिणगारी वगैरेह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक 18/07/2025

न्यायालय हाजा द्वारा 74/2023 सनवान हरिसिंह बनाम हरिसिंह वगैरेह वाद वादी दिनांक 25/07/2024 को पक्षकाराने कौ से द्विती किया जाकर तहसीलदार विसारु को मोका कमीशन नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकाराने की मौजूदगी में कबजे काशन के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार विसारु द्वारा विभाजन प्रस्ताव जारीये फालना रिपोर्ट पत्रांक सु.प्र/2025/137 दिनांक 12/05/2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील समय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकाराने द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी रकीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम धीरासर के भूमि ख.न. 518, 520, 521, 522, 523 हेक्टर का निम्न प्रकार खातेदार कारतकार घोषित किये जाते है:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि किसिम
1	जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र गोरखाराम 1/2 हिस्सा रहन 1/4 वीआरोजीवी, सिणगारी पत्नी गोरखाराम 1/2 हिस्सा रहन 1/4 वीआरोजीवी, गागीयासर	ग्राम धीरासर		
		518 मीन	3.45	बागनी -3
		444 मीन	0.15	बा. 2
	याग	किता 02	1.29	
2	सम्पत कुमार पुत्र सुरजाराम जाति मधवाल सा. देह खातेदार रहन 1/2 वीआरोजीवी, गागीयासर	518 मी.	0.085	बागनी -3
		520 मी.	2.06	बागनी 2
		521	0.09	म.मु. स
		522	0.35	बा. 2
		523	0.83	बा.2

तहसीलदार विसारु को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरासद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकाराने संतुष्ट नहीं है तो पक्षकाराने अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फासल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकायी
जिला हुन्डुनु

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनू (राज0)

पिठारसीन अधिकारी:- मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा विभाजन वावत वंटवारा
अन्तिम वाद डिकी


मुकदमा नम्बर :- 324/2022 उनवान जगदीश उर्फ जगनाराम बनाम सिणगारी वगैरे

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूवरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा जिले की वकील वादीगण मिनजानिव मुददई रूवरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुददालय पेश होकर हुकम देया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2025 निर्णय वाद वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजरव ग्राम धीरासर के भूमि ख.न 518 520,521,522,523 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र गोरखाराम 1/2 हिस्सा रहन 1/4 बीआरोजीबी, सिणगारी पत्नी गोरखाराम 1/2 हिस्सा रहन 1/4 बीआरोजीबी, गागीयासर	ग्राम धीरासर 518 मीन 444 मीन	3.45 0.15	बारानी -3 वा. 2
2	याग सम्पत कुमार पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन 1/2 बीआरोजीबी, गागीयासर	किता 02 518 मी. 520 मी. 521 522 523	1.29 0.085 2.06 0.09 0.35 0.83	- बारानी -3 बारानी 2 गै.मु. रा. वा. 2 वा.2

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2025 को जारी की गई।


मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा